न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 274/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
खेराज के कायम मुकाम– 1– कासब खां पुत्र खेराजराम 2– बुधाराम पुत्र खेराजराम 3– सुरजी पुत्री खेराजराम पत्नी मांगीलाल सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– चीमाराम के कायम मुकाम – 1.1– किशनाराम पुत्र चीमाराम के का0मुकाम – 1.1.1–आसी देवी पत्नी किशनाराम 1.1.2– बाबुलाल पुत्र किशनाराम 1.1.3– मोहनलाल पुत्र किशनाराम 1.1.4– श्रवणराम पुत्र किशनाराम 1.1.5– राजु पुत्र किशनाराम 1.1.6– फमु देवी पुत्री किशनाराम पत्नी ओमप्रकाश 1.1.7– अमली पुत्री किशनाराम, पत्नी ओपाराम 1.1.8– कमली पुत्री किशनाराम, पत्नी देवाराम 1.1.9– शारदा पुत्री किशनाराम, पत्नी श्रवण 1.1.10– शमली पुत्री किशनाराम, पत्नी जोगाराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम गुडा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 1.2– सुखदेव पुत्र चीमाराम 1.3– नैनाराम पुत्र चीमाराम 1.4– जवताराम पुत्र श्री चीमाराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम गुडा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 02– भारूराम के कायम मुकामः– 2.1– ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र विरमाराम, जाति– विश्नोई, निवासी– ग्राम गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 03– रामलाल के कायम मुकामः– 3.1– पाबुराम पुत्र श्री रामलाल 3.2– खमुराम पुत्र श्री रामलाल 3.3– अणदाराम पुत्र श्री रामलाल 3.4– शंकरलाल पुत्र श्री रामलाल 3.5– जोधा पत्नी श्री रामलाल 3.6– सारकी पुत्री श्री रामलाल, पत्नी भबूतराम 3.7– जमना पुत्री श्री रामलाल, पत्नी छोगाराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 04– मुकनाराम के कायम मुकामः– 4.1– भाकरराम पुत्र मुकनाराम 4.2– हरिराम पुत्र मुकनाराम 4.3– गोकुलराम पुत्र मुकनाराम

		4.4– भेपाराम पुत्र मुकनाराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 05– हुकमाराम पुत्र हमीर, जाति– विश्नोई, निवासी– ग्राम गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 06– मिरगादेवी पत्नी श्री चौथाराम, जाति– विश्नोई, निवासी– ग्राम निम्बाज, तहसील जैतारण, जिला पाली 07– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 1–12–2014 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा प्रार्थियां के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को अस्वीकार कर खारीज किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री दुदाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3/4 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22–11–2017

वर्तमान अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी की पैतृक खातेदारी की भूमि ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूनी की सीमा मे खसरा नंबर 683/3 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड मे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के नाम संवत 2026 से 2029 तक दर्ज होती रही परंतु खतौनी बंदोबस्त संवत् 2034 से 2037 मे अपीलांट का हिस्सा व नाम दर्ज करने से रह गया तथा रकबा भी कम होकर 31 बीघा 19 बिस्वा रह गया जबकि उक्त रकबा न तो हस्तांतरण हुआ और न ही किसी आदेश से परिवर्तन हुआ । इसप्रकार की लेखन त्रुटि को दुरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–12–2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिये जाने पर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग करते हुए धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ समस्त राजस्व रेकर्ड की प्रतिलिपियां

खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2034 तक की साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत की थी जिनके अवलोकन से मामला सीधा अभिलेख शुद्धि का प्रकट होते हुए भी मामला अभिलेख शुद्धि का नही होना मानकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 683/3 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा दर्जसुदा है तथा उपरोक्त रकबा जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 तक दर्ज होता रहा तथा उसके बाद की जमाबंदी संवत 2034 से 2037 संधारण करते समय अपीलार्थी का नाम दर्ज करने से छूट गया तथा रकबा भी 35 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 31 बीघा 19 बिस्वा दर्ज कर दिया गया, जिसे दुरस्त करवा कर अपने नाम से दर्ज करवाने का अपीलांट अधिकारी होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजो के अवलोकन किये ही जो आलौच्य आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–12–2014 को निरस्त करने तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 3/4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को सही बताते हुए अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने संवत 2026–29 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमे अन्य खातेदारान के साथ अपीलांट खेराज का नाम दर्ज है, उसके पश्चात की जमाबंदी संवत 2030–33 की प्रति रेकर्ड पर प्रस्तुत नही की है,उसके पश्चात की जमाबंदियां पेश की है जिसमे अपीलांट का नाम दर्ज नही होना पाया जाता है । जमाबंदी संवत 2030–34 की जमाबंदी पेश नही की है जिसके द्वारा अपीलांट का नाम हटाया गया तथा रकबा भी 35 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 31 बीघा 19 बिस्वा अथार्त 3 बीघा 17 बिस्वा कम दर्ज हुआ है, खातेदार का नाम तथा रकबा दोनो एक साथ दर्ज नही होना यह सामान्य त्रुटि नही मानी जा सकती है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे मूल खसरा नबर 683 के बट्टा नंबर पडने का कोई आधार तो रहा होगा, इस संबंध मे कोई स्पष्टीकरण या जानकारी अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट देने मे असमर्थ रहने पर अपीलाधीन निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवेचन देते हुए प्रार्थी/अपीलांट

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का खारीज किया है, उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–12–2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर